

प्रतिलिपि पत्र संख्या-646ए/सत्तर-5-2009-41(1)/2007 दिनांक 24 नवम्बर, 2009 द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1400/2009 दिनांक 22.4.2009 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अर्न्तगत बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2008 से इस शर्त के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करेगा तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगा एवं परिषद द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3644/2009

दिनांक 24/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई को इस आशय से प्रेषित है शासन के सम्बद्धता आदेश में इंगित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) विभाग सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3644/2009, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3644/2009, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3644/2009, कानपुर ।

(पी0एन0 प्रसाद)
उप कुलसचिव
कृते कुलसचिव